UPGK010064792026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2874/2026,

अनुज साहनी उर्फ गुल्ली पुत्र बैजनाथ साहनी,
निवासी- ग्राम भैंसहा बुजुर्ग,
थाना- गगहां, जनपद- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 38/2026,
धारा- 109,61 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- गगहां, जनपद- गोरखपुर।

10.07.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त अनुज साहनी उर्फ गुल्ली, जो अपराध संख्या- 38/2026, धारा- 109,61 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गगहां, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता राधामोहन दिनांक 03.02.2026 को शाम 08:30 बजे शाम कैथवलिया गॉव में स्थित हुकहा बाबा मन्दिर के पास अपनी बाइक से पहुॅचा ही था, कि तभी बाइक पर सवार अनुज साहनी (गुल्ली) व अभिषेक पासवान ने जान से मारने की नीयत से पीछे से असलहे (तमन्चे) से फायर कर दिया, जिससे गोली प्रथम सूचनाकर्ता के पीठ में जा लगी। प्रथम सूचनाकर्ता जैसे रूका तभी पहले से घात लगाये बैठे सरकारी हैण्ड पम्प के पास से मनीष यादव व ऋषिकेश यादव असलहे से फायर करते हुए जान से मारने की नीयत से गोली चलाने लगे। प्रथम सूचनाकर्ता वहा से वापस कैथवलिया गांव की तरफ भागने लगा, तो उक्त सभी लोग पीछा करते हुए भद्दी-भद्दी गाली देते हुए दौड़ाने लगे। प्रथम सूचनाकर्ता किसी तरह संतोष यादव के घर पहुँचकर शोर मचाया, तो वहाँ पर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गये, तो रकहट की तरफ से बाइक पर दो लोग सवार उधर से आ गये। भीड़ देखकर वापस मुड़ गये और ललकारते हुए बोलते गये कि अगली बार जान नहीं बचेगी। पूरी घटना में शामिल सभी लोग जान से मारने की नीयत से गोली मारे तथा घटना साजिश के तहत करवायी गयी है, जिसमें और लोग भी शामिल हैं। अज्ञात व्यक्ति बाइक से थे, जिनको प्रथम सूचनाकर्ता नहीं पहचानता है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर मामले की प्राथमिकी पंजीकृत की गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में प्रथम सूचनाकर्ता/आहत को बी0आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया। डिस्चार्ज समरी के अनुसार दिनांक 03.02.2026 को समय 08:30 बजे शाम को आग्नेयास्त्र की चोट आने का कथन किया गया है। आहत के शरीर से गोली एनेसथिसिया देकर निकाली गयी थी। 4 सेन्टीमीटर X 5 सेन्टीमीटर का गोली का इन्ट्री उन्ड था। प्रथम सूचनाकर्ता/आहत राधे मोहन सिंह द्वारा विवेचक के समक्ष कथन किया गया कि दिनांक 03.02.2026 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय रकहट गॉव के चन्द्रमोल पाण्डेय के यहॉ से बैठ कर वापस आ रहा था, तो कैथवलिया गाँव में स्थित हुकहा बाबा मन्दिर के पास पीछे से बाइक सवार अनुज साहनी उर्फ गुल्ली, अभिषेक पासवान जान से मारने की नीयत से पीछे से असलहे से फायर कर दिये, फायर करने के बाद गोली पीठ में जा लगी। गोली लगने के बाद यह गाड़ी मुड़ाकर भागना चाहा, तो पहले से घात लगाकर बैठे सरकारी हैण्ड पम्प के पास से मनीष यादव व ऋषिकेश यादव अपने साथ लिये असलहे से इस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने लगे। सह-अभियुक्तगण मनीष यादव व अभिषेक पासवान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर .315 बोर के तमन्चे की बरामदगी की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त घटना के समय घटना स्थल पर विद्यमान नहीं था। तथाकथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी आग्नेयास्त्र की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय से यह अपराध कारित किया गया है। आहत को आग्नेयास्त्र की चोट आयी है, जो अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है। सर्जरी हेतु आहत के भाई से इस आशय की सहमति ली गयी थी कि सर्जरी के दौरान क्षति पहुँचना एवं विषम परिस्थितियों उत्पन्न होने का खतरा है। यह जानते हुए सर्जरी करवाने के लिए तैयार है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका होना बताया गया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त ऋषिकेश यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में तथा सह-अभियुक्त शैलेष कन्नौजिया का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा आज ही स्वीकार किया गया है, क्योकि सह-अभियुक्त ऋषिकेश यादव के विरूद्ध आग्नेयास्त्र से फायर किये जाने का आरोप लगाया गया है, किन्तु उक्त आग्नेयास्त्र के फायर की कोई चोट प्रथम सूचनाकर्ता अथवा अन्य किसी को आना अभियोजन द्वारा कथित नहीं किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त मनीष यादव का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया गया है, क्योकि सह-अभियुक्त मनीष यादव द्वारा किये गये आग्नेयास्त्र के फायर की गोली प्रथम सूचनाकर्ता के पीठ में लगना अभियोजन द्वारा कथित किया गया है और आवेदक/अभियुक्त की भूमिका भी सह-अभियुक्त मनीष यादव के समान तथा जमानत प्राप्त सह-अभियुक्त ऋषिकेश यादव व शैलेष कन्नौजिया से पृथक एवं गुरूतर प्रकृति का होना दर्शित है।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त अनुज साहनी उर्फ गुल्ली की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
10 जुलाई, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:48:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court